राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 5767/2015

करीमुल्लाह खान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, संयुक्त निदेशक (कार्मिक), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, जोधपुर।

– प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण दिनांक : 19.11.2015
आदेश की दिनांक : 23.05.2024

उपस्थित

अपीलार्थी की ओर से : श्री सी पी त्रिवेदी, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किये गये आलोच्य आदेश दिनांक 13.3.2013 एवं अन्य आनुषंगिक आदेशों को अपास्त किये जाने तथा पेंशन भुगतान आदेश में दर्शित एवं वसूल की गई राशि मय ब्याज के रिफण्ड करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 17.08.1978 द्वारा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर की गई थी। समय अन्तराल पर पदोन्नति एवं स्थानान्तरण किये जा कर अन्ततः राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया तथा माह अगस्त 2014 में अपीलार्थी की अधिवाषिकी आयु पूर्ण होने पर अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी के साथ–साथ एक अन्य श्री हनुमान प्रसाद सेन की प्रथम नियुक्ति भी उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 17.08.1978 के द्वारा की जा कर अपीलार्थी एवं हनुमान प्रसाद सेन, दोनों ही को आदेश दिनांक 13.01.1983 द्वारा प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाकर तत्पश्चात् आदेश दिनांक 23.11.2001 द्वारा प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। हनुमान प्रसाद सैन की सेवानिवृति माह जुलाई 2012 में हुई, एवं दोनो को सेवा सम्बन्धी अन्य सभी समान परिलाभ दिये गये (अनुलग्नक– 1, 2 व 3)। छठे वेतनमान के तहत अपीलार्थी एवं हनुमान प्रसाद सेन, दोनों का वेतन रूपये 24,330/– निर्धारित किया

गया। वर्ष 2010 में अपीलार्थी एवं हनुमान प्रसाद सेन दोनों द्वारा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रत्यर्थी विभाग को एसीपी स्वीकृत करने हेतु अपना अलग–अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हनुमान प्रसाद सेन को उनके सेवानिवृत्ति पर अन्तिम वेतन के अनुसार समस्त सेवा निवृत्ति परिलाभ प्रदत्त कर दिए गए। आदेश दिनांक 27.11.2013 अनुलग्नक–4 पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 13.03.2013 जारी कर अपीलार्थी का वेतन संशोधित कर उसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2001 से आधिक्य राशि की वसूली के आदेश पारित किए गए (अनुलग्नक–5)। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 05.03.2014 को आदेश पारित कर अपीलार्थी की 30 वर्षीय सेवा पर एसीपी का परिलाभ प्रदान किया गया, किन्तु वास्तविक भुगतान माह जनवरी 2007 से किए जाने एवं माह दिसम्बर 2001 से आधिक्य राशि के वसूली आदेश जारी कर दिए गए (अनुलग्नक–6)। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के माह अगस्त, 2014 में सेवा निवृत्त होने के उपरान्त देय सेवा निवृत्ति परिलाभों में से वसूली राशि को समायोजित करते हुए वेतन भुगतान किया एवं अपीलार्थी का वेतन माह जुलाई 2012 में रुपए 26,310/– पर नियत किया गया, जबकि श्री हनुमान प्रसाद जो कि माह जुलाई 2012 में सेवानिवृत्त हुए उनका वेतन 32,460/– नियत किया गया। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वेतन की उक्त विसंगति को समाप्त कर अपीलार्थी का वेतन भी हनुमान प्रसाद के समतुल्य किये जाने का निवेदन किया (अनुलग्नक–7)।

3. अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2013 को एवं आनुषांगिक आदेशों को अपास्त करने तथा वसूल की गई राशि को मय ब्याज प्रतिदाय (refund) कराने तथा संशोधित पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी कराने का अनुतोष चाहा है।

4. प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि आदेश दिनांक 13.03.2013 नियमानुसार जारी किया जाकर वसूली की गई है। अपीलार्थी ने गलत तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी का माह जुलाई 2012 में वेतन नियतन रुपए 26,310/– से संशोधित कर रुपए 29,800/– किया गया एवं वर्ष 2013 में इसे रुपए 30,700/– किया गया एवं माह जुलाई 2014 में रुपए 32,240/– किया गया। सेवा नियम के नियम–26'ए' एवं आदेश दिनांक 28.02.1981 के तहत् अपीलार्थी का अपील में प्रस्तुत कथन स्वीकार योग्य नहीं है। आदेश दिनांक 28.02. 1981 के अनुसार –

> *''विषय– ऐसे व्यक्तियों की अर्जेंट/अस्थायी नियुक्ति जो पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते– ऐसे अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का विनियमितिकरण उपरलिखित विषय पर इस विभाग के इसी संख्या के आदेश दिनांक 07.11.1975 के पैरा 4(2) और 4 में अर्न्तविष्ट अनुदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार ऐसे व्यक्तियों को जो किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता तो रखते थे किन्तु विहित न्यूनतम अवधि का अनुभव नहीं रखते थे, अर्जेंट/अस्थाई आधार पर किसी पद को धारित करने के लिए पदोन्नति कर दिये गए, क्योंकि पदोन्नति के लिए कोई अधिकारी विधिमान्य रूप से पात्र नहीं था और निचले पदों जिनमें पदोन्नति की गई है, को धारित करने वाले व्यक्तियों में*

से ऐसे पदों को भरना आवश्यक समझा गया था राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26'क' के अधीन वेतन नियतन का लाभ तब तक नहीं दिया जाना था जब तक कि अपेक्षित अनुभव अर्जित नही कर लिया जाता, और उनका वेतन उसमें आदेशों में अधिकथित रीति से नियत किया जाना अपेक्षित था। उक्त आदेश के पैरा 4 में यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि लम्बित मामलों को भी तदनुसार विनिश्चित किया जा सकेगा।''

अतः इस आधार पर अपील अपीलार्थी विचारणीय नहीं है। अतः खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन एवं मनन किया।

6. अपीलार्थी ने बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 7031/2019 गोपाल मल भण्डारी बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य में तथा इसी रिट के साथ संलग्न अन्य प्रकरणों में पारित आदेश की प्रति पेश की है जिसके अनुसारः—

"Facts are similar in all cases. For simplicity, we may record those arising out of writ petition No. 7031/2019. The petitioner Gopal Mal Bhandari was appointed in the High Coat administration as LDC on 05.04. 1976. In the year 2000, he was placed on the post of Court Master from the post of Stamp Reporter. The case of the petitioner is that both the posts, that of (1 of 5) [CW-7011/20191 Stamp Reporter and that of Court Master carried the same pay scale and accordingly, his placement as Court Master wat not by way of promotion. Despite this, treating his change of post as a promotion, the High Court administration did not great him the benefit of third ACP He thereupon filed Civil Writ Petition No. 10491-2011 before this Court. The Division Bench of this Court allowed the petition by judges dated 17.09.2013 holding that while the petitioner was posted as Court Master, the same was not by way of promotion. Resultantly, the petitioner would receive the benefit of third ACP which was denied to him. The High Court administration did not accept this judgment straight away First appeal was filed before the Supreme Court and thereafter a review petition was filed before the Division Bench. After the SLP was dismissed, the judgment was implemented. On 26.08.2017, the petitioners were granted benefit of third ACP with effect from 06.04.2001 In this coder itself, it was clarified that there would be consequential adjustment of pay fixation. Since as urged by the petitioner and as accepted by the High Court, his placement as Court Matter was not by way of promotion, the High Court administration correctly believed that the benefit of pay fixation granted to him at that stage in terms of Rule 26A of Rajasthan Service Rales, 1951, i.e. grant of additional increment had to be withdrawn. Surely, the petitioner cannot retain both the benefits namely of pay fixation as a promotion and benefit of third ACP treating the category changer not as a promotion. Even the petitioner does not dispute this position. The real problem arose because the High Court administration raised recovery of the over payment of Ra. 1,01,187 by impugned communication dated (4 of 3) (CW-7031/20191 10.05.2019. To the meantime, the petitioner had retired with effect from 31.03.2016.

In connected petitions, facts are substantially similar. The amount of recovery and the dine of retirement changed. Nevertheless, all petitioners have retired from active service and the recoveries raised against them are in the vicinity of Rs 1 to 2 lakh.

In background of such facts, in our view, the recoveries could not have been raised. Firstly, all the petitioners have retired from service long before the recoveries were raised. Secondly, it is not even the allegation of the High Court administration that the over payment was on account of any misrepresentation or fraud on the part of the petitioners, is that view of the matter, we need to examine the request of the petitioners in light of the judgment of the Supreme Court in the case of Stute of Punjab and others vs Rafiq Masih (White Washer) and others reported in (2015) 4 SCC 334 The question of recoveries of over payment from the government employees has received attention of the Supreme Court on numerous occasions. In case of Rafiq Masih (supra) the two Judges of Supreme Court has taken note of earlier decisions and has laid down the following principles

> *"18. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. De that as it may, bused on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarize the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law;*
>
> *(1) Recovery from employees belonging to Class*
>
> *III and Class-IV service (or Group C and Group D service)*
>
> *(1) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery*
>
> *(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued*
>
> *(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid*
>
> *accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.*
>
> *(V) in any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."*
>
> *We are informed that the State of Rajasthan had also issued a circular making similar provisions with respect to recoveries of alleged over payment of salary*
>
> *In view of the facts noted above, all the petitions are allowed. The impugned demanding recoveries of over payment of salary are set aside."*

7. उभय पक्ष के तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश दिनांक 13.03.2013 नियमों के अनुरूप सही जारी किया गया है। पूर्व में अपीलार्थी को नियम–26'A' का लाभ दिया गया था जो नियमानुसार देय नहीं होने के कारण वेतन नियतन संशोधन करने की कार्यवाही की गई, जो नियमानुसार है, अतः इस सीमा तक अपीलार्थी का अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है।

8. जहां तक अपीलार्थी से सेवानिवृत्ति के समय आधिक्य देय राशि की वसूली करने का विषय है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.03.2014 से वसूली कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। अपीलार्थी राजकीय सेवा से माह अगस्त 2014 को सेवानिवृत्त हुआ। लिहाजा, कार्मिक को पूर्व में भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :–

> *"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summaries the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:*
>
> ***(i)*** *Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).*

> ***(ii)*** *Recovery from retired employee.s, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.*
>
> ***(iii)*** *Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.*
>
> ***(iv)*** *Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.*
>
> ***(v)*** *In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."*

9. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 7031/2019 गोपाल मल भण्डारी बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 वाले प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अपीलार्थी से सेवानिवृत्ति से एक साल पहले की अवधि में एवं सेवानिवृत्ति पर नियमानुसार राशि वसूल नहीं की जा सकती। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलार्थी से अधिशेष राशि वसूली करने का आदेश अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी से वसूल की गई राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रतिदाय (refund) करने हेतु आदेशित किया जाता है। इस आदेश की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 3 माह में सुनिश्चित की जावे तथा जिसकी संसूचना अपीलार्थी को भी दी जावें।

sd/-

(असलम मेहर)
सदस्य

sd/-

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य